क.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी सीमित

वी.

बीरेंडर और ओआरएस।

(2020 की सिविल अपील संख्या 242-243)

13 जनवरी, 2020

[ए**.** एम**.** खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 -s.166-मुआवजे के लिए आवेदन-मृतक सरकारी कर्मचारी नियम, 2006 के आश्रितों के लिए हरियाणा अनुकंपा सहायता-प्रतिवादी एन. ओ. एस. द्वारा दावा याचिका दायर की गई थी। 1 और 2, जो मृतक के प्रमुख पुत्र थे-न्यायाधिकरण ने उस प्रतिवादी एन. ओ. एस. को अभिनिर्धारित किया। 1 और 2 को मृतक के माध्यम से आर्थिक लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है-प्रतिवादी एन. ओ. एस. के रूप में व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती 50 प्रतिशत रखी गई थी। 1 और 2 बड़े और कमाई करने वाले हाथ थे-कुल मुआवजे की गणना रु। 17,40,532-- हालाँकि, उच्च न्यायालय ने नोट किया कि 2006 के नियमों के तहत मृतक के परिवार को उपलब्ध वित्तीय सहायता रु। 33,29,712-और रुपये की क्षतिपूर्ति राशि से उक्त राशि का 50 प्रतिशत काट लिया। 29,20,772-- इसके बाद उच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि में से Rs.16,64,856/- की कटौती की। 29,20,772-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को 2006 के नियमों के तहत वित्तीय सहायता की पूरी राशि में कटौती करनी चाहिए थी-उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने मुआवजे से एक तिहाई के बजाय 50 प्रतिशत राशि में कटौती करने में गलती की-अपील पर कहा गयाःउच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण शशि शर्मा मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सही अध्ययन नहीं है-उच्च न्यायालय ने यह मानने में स्पष्ट त्रुटि की कि प्रतिवादी एन. ओ. एस. है। 1 और 2 2006 के नियमों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे-इसके अलावा, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं है या वास्तव में, वे 2006 के नियमों के तहत ऐसी वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं-इसलिए उच्च न्यायालय को मुआवजे की राशि से मृतक के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त राशि की कटौती प्रदान करने के बजाय (2006 के नियमों के तहत), मुआवजे की राशि को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करना चाहिए था और मृतक के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने के अधीन इसके भुगतान का आदेश देना चाहिए था।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

निष्पादन न्यायालय के समक्ष घोषणा कि उन्हें 2006 के नियमों के तहत वित्तीय सहायता के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और न ही वे किसी राशि का दावा करेंगे, ताकि वे पूरी क्षतिपूर्ति राशि को वापस लेने के हकदार बन सकें।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 -s.166-मुआवजे के लिए आवेदन-मृतक के प्रमुख बेटे जो विवाहित थे और लाभकारी रूप से कार्यरत थे-अधिकार-आयोजितःमृतक का कानूनी प्रतिनिधि धारा (ग) के आधार पर मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है। 166 – मंजुरी बेरा में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संबंधित कानूनी प्रतिनिधि की निर्भरता के अभाव के कारण मामले के तहत मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व समाप्त नहीं होता है-यह तय किया गया है कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार है-यह कहने के बाद कि, यह आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए कि मृतक के बड़े विवाहित और कमाने वाले बेटे भी कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार रखते हैं और यह न्यायाधिकरण का बाध्य कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पर विचार करे, इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित कानूनी प्रतिनिधि पूरी तरह से मृतक पर निर्भर था और केवल पारंपरिक प्रमुखों के प्रति दावों को सीमित न करे।

ग

डी.

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

ई.

पकड़नाःक्या मृतक के बड़े बेटे जो शादीशुदा हैं और लाभकारी नौकरी या कमाई कर रहे हैं**,** मोटर वाहन अधिनियम**, 1988** के तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं**?**क्या ऐसे कानूनी प्रतिनिधि केवल पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजे के हकदार हैं**?** क्या **2006** के नियमों के तहत मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त राशि की कटौती पूरी तरह से की जानी चाहिए या केवल उसके हिस्से के रूप में की जानी चाहिए**?[957-**बी**-**सी**]**

च

1. पहले मुद्दे पर लौटते हुए**-**जिसका उत्तर अधिनियम की योजना के आधार पर दिए जाने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा **166** में उप**-**धारा **(1)** के खंड **(**ए**)** से खंड **(**डी**)** में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा मुआवजे के लिए आवेदन दायर करने का प्रावधान है।**[**पैरा **13] [957-**डी**]**

जी.

2. मृतक के कानूनी प्रतिनिधि धारा **166 (1)** के खंड **(**सी**)** के आधार पर मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं।बड़ा विवाहित बेटा जो भी कमा रहा है और पूरी तरह से नहीं

एच.

क.

मृतक पर निर्भर**,** अभी भी मृतक के "कानूनी प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया जाएगा।मंजुरी बेरा में इस अदालत ने स्पष्ट किया था कि संबंधित कानूनी प्रतिनिधि की निर्भरता के अभाव के कारण अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व समाप्त नहीं होता है।विशेष रूप से**,** अधिनियम में "कानूनी प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। **[**पैरा **14] [958-**डी**-**ई**]**

3. उक्त निर्णय के पैराग्राफ **15** में, अधिनियम की धारा **140** के प्रावधानों का समर्थन करते हुए, न्यायालय ने कहा कि भले ही निर्भरता का कोई नुकसान न हो, दावेदार, यदि वह एक कानूनी प्रतिनिधि था, तो मुआवजे का हकदार होगा।क्षतिपूर्ति मृतक की संपत्ति का हिस्सा है।नतीजतन, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को संपत्ति विरासत में मिलेगी।वास्तव में, उस मामले में, न्यायालय मृतक की एक विवाहित बेटी के मामले और अधिनियम की धारा **140** की प्रभावकारिता पर विचार कर रहा था। फिर भी, इस निर्णय में व्याख्या में अंतर्निहित सिद्धांत स्पष्ट रूप से प्रतिवादी संख्या **1** और **2** (दावेदारों) की सहायता के लिए आएगा, भले ही वे मृतक के प्रमुख पुत्र हैं और कमाई भी करते हैं।[पैरा **14] [959-**एफ-एच; **960-**ए]

ग

डी.

4. अब तक यह तय हो गया है कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार है।यह कहने के बाद, यह आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए कि मृतक के बड़े विवाहित और कमाने वाले बेटे भी कानूनी प्रतिनिधि हैं, उन्हें भी मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार है और यह न्यायाधिकरण का बाध्य कर्तव्य होगा कि वह इस तथ्य के बावजूद आवेदन पर विचार करे कि क्या संबंधित कानूनी प्रतिनिधि पूरी तरह से मृतक पर निर्भर था और केवल पारंपरिक शीर्षों के लिए दावे को सीमित नहीं करना था।वर्तमान मामले में दर्ज साक्ष्य से पता चलता है कि दावेदार अनुबंध के आधार पर कृषि मजदूरों के रूप में काम कर रहे थे और प्रति वर्ष रु**. 1,00,000-**और रु**. 1,50,000-**के बीच अल्प आय अर्जित कर रहे थे।इस मायने में, वे काफी हद तक अपनी माँ की कमाई पर निर्भर थे और वास्तव में, उनके साथ रह रहे थे, जो **48** साल की कम उम्र में एक दुर्घटना का शिकार हो गई।[पैरा **15] [960-**बी-सी]

ई.

च

जी.

5. अगला मुद्दा ए के तहत मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त राशि की कटौती के बारे में है।

एच.

949

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बी. बी. आई. आर. एन. डी. ए. और ओ. आर. एस.

शशि शर्मा मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के संदर्भ में न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि से **2006** के नियम।[पैरा **16] [960-**डी]

6. हालाँकि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अजमेरो में उसी उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने के बाद कहा है कि **2006** के नियमों के तहत वित्तीय सहायता के लिए मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त राशि का **50** प्रतिशत मुआवजे की राशि में से काटा जाना आवश्यक है।[पैरा **16] [962-**जी]

7. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिया गया दृष्टिकोण एक से अधिक कारणों से शशि शर्मा में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का सही अध्ययन नहीं है।सबसे पहले, यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि **2006** के नियमों के नियम **5 (2)** के तहत, परिवार द्वारा प्राप्य पारिवारिक पेंशन देय होगी, हालांकि, उस अवधि के बाद ही, जिसके दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, पूरी हो जाती है।उस संदर्भ में, रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ **24** में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि अधिनियम के तहत न्यायसंगत मुआवजे के निर्धारण के लिए पारिवारिक पेंशन की राशि को दावे की राशि से नहीं काटा जा सकता है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने गलती से यह मान लिया है कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद मृतक का परिवार पारिवारिक पेंशन राशि का हकदार होगा।यह **2006** के नियमों की योजना, विशेष रूप से इसके नियम **5 (2)** के अंतर्गत आता है।उक्त नियमों में अनुकंपा के आधार पर वित्तीय सहायता के साथ-साथ मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अन्य लाभ भी प्रदान किए गए हैं और इसके एक पैकेज के रूप में नियम **5 (2)** में कहा गया है कि सामान्य नियमों के अनुसार परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने की अवधि पूरी होने के बाद ही पारिवारिक पेंशन का

भुगतान किया जाएगा।इस प्रावधान की वैधता को मुद्दा नहीं बनाया गया है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अजमेरो में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण **2006** के नियमों**,** विशेष रूप से नियम **5 (2)** द्वारा परिकल्पित योजना से अलग है।इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **17] [963-**सी**-**एफ**]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

8. वास्तव में**,** वर्तमान मामले में**,** उच्च न्यायालय ने यह मानने में स्पष्ट त्रुटि की कि प्रतिवादी संख्या **1** और **2** के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

एच.

क.

2006 के नियम।इस तरह की वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता को **2006** के नियमों के नियम **3** में पेंशन/परिवार पेंशन योजना**, 1964** के प्रावधान के साथ पढ़ा गया है।ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े बेटे और विवाहित बेटियां परिभाषा में शामिल नहीं हैं।हालाँकि**,** हमें वर्तमान कार्यवाही में उस पहलू पर आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।एस**.** डी**.** एम**.** कार्यालय **(**पी**.** डब्ल्यू**.-1)** में क्लर्क के साक्ष्य में यह सामने आया है कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों ने तब तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है जब तक कि वह अपदस्थ नहीं हो गया था।वास्तव में**,** प्रतिवादी संख्या **1,** जिसने गवाह बॉक्स में प्रवेश किया था**,** ने गवाही दी कि उन्होंने अपनी मृत माँ का वेतन प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था।तथ्य यह है कि अभिलेख पर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि प्रतिवादी संख्या **1** और **2** को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाता है या वास्तव में**,** वे **2006** के नियमों के तहत ऐसी वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।इसलिए**,** उच्च न्यायालय को मुआवजे की राशि से मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त राशि **(2006** के नियमों के तहत**)** की कटौती का प्रावधान करने के बजाय**,** मुआवजे की राशि को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करना चाहिए था और निष्पादन न्यायालय के समक्ष हलफनामा/घोषणा दायर करने वाले मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के अधीन इसके भुगतान का आदेश देना चाहिए था कि उन्हें **2006** के नियमों के तहत वित्तीय सहायता के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और न ही वे कोई दावा करेंगे**,** ताकि वे पूरी मुआवजे की राशि निकालने के हकदार बन सकें।**[**पैरा **18] [964-**जी**-**एच**; 965-**ए**-**डी**]**

ग

डी.

ई.

9. क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण की ओर लौटते हुए**,** यह देखा गया है कि न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि मृतक का सकल वेतन **Rs.23,123/-** प्रति माह था **(**संभवतः कर योग्य आय से कम**),** संबंधित अवधि के लिए मृतक द्वारा निकाले गए शुद्ध वेतन के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ा।स्वीकार करते हुए**,** कर राशि के अलावा सकल वेतन से किसी भी कटौती की गणना नहीं की जा सकती है।इसमें**,** प्रणय सेठी के अनुच्छेद **59.3** में इस न्यायालय की संविधान पीठ के कथन के आलोक में**,** मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा वास्तविक वेतन रहित कर राशि पर विचार किया जाना चाहिए था।**[**पैरा **19] [964-**ई**-**एफ**]**

च

जी.

10. इसी तरह**,** उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या **1** और **2** द्वारा की गई प्रस्तुति पर ध्यान देने के बावजूद कि ए

एच.

951

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बी. बी. आई. आर. एन. डी. ए. और ओ. आर. एस.

मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती को निर्भरता के नुकसान का निर्धारण करने के लिए केवल एक तिहाई **(**एक तिहाई**)** राशि के रूप में माना जाना चाहिए**,** न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार उस शीर्ष के लिए **50** प्रतिशत की कटौती को बनाए रखा।इस न्यायालय ने प्रणय सेठी में**,** पैराग्राफ **37** में**,** सरला वर्मा में इस न्यायालय के कथन को स्वीकार किया है।

(श्रीमती**)** और ओआरएस बनामदिल्ली परिवहन निगम और ए**.** एन**.** आर**.** अनुमोदन के साथ**,**

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आश्रित परिवार के सदस्य **2** से **3** हैं**,** जैसा कि इस मामले में है**,** तो मृतक के व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए कटौती को एक तिहाई **(1/3)** के रूप में लिया जाना चाहिए।दूसरे शब्दों में**, 50** प्रतिशत की सीमा तक व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती अत्यधिक है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित और उचित नहीं है कि प्रतिवादी संख्या **1** और **2** अपने**-**अपने परिवारों के साथ संबंधित समय पर मृतक के साथ रह रहे थे और काफी हद तक उसकी आय पर निर्भर थे।**[**पैरा **20] [964-**जी**; 965-**ए**-**बी**]**

ग

11. उच्च न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष को उलट दिए बिना**,** मृतक द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद प्राप्त **7,000/-** रुपये प्रति माह की राशि को पेंशन राशि के रूप में शामिल करने के लिए आगे बढ़े।यह न्यायालय न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत है और इसी कारण से**,** उक्त राशि को निर्भरता के नुकसान के रूप में शामिल करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को उलटना होगा।इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता था**,** क्योंकि यह केवल मृतक के विधवा होने पर देय था**,** न कि मुआवजे की राशि की गणना करने के उद्देश्य से उसकी आय के लिए।**[**पैरा **21] [965-**ई**]**

डी.

ई.

12. प्रत्यर्थी संख्या **1** और **2** मृतक और भविष्य की संभावनाओं के सकल वेतन **(**कम कर राशि**,** यदि कोई हो**)** के नुकसान के कारण निर्भरता के नुकसान के आधार पर गणना किए जाने वाले मुआवजे के हकदार होंगे और मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए केवल एक तिहाई **(**एक तिहाई**)** राशि की कटौती होगी।न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लागू गुणक **'13'** के संबंध में**,** इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।नतीजतन**,** इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर**,** मुआवजे के लिए देय राशि की गणना निम्नलिखित आधार पर करनी होगी**:- Rs.31,26,229.60-[(Rs.23,123/- x 12 x 13) + (30** प्रतिशत भविष्य की संभावनाएँ**)-(**व्यक्तिगत खर्चों के लिए **1/3** कटौती**)** पर गणना की गई आय की हानि के कारण निर्भरता का नुकसान।इसके अलावा**,** दावेदार **Rs.70,000/-** की राशि के हकदार होंगे।

च

जी.

एच.

952 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 1 एस. सी. आर.

क.

- प्रणय सेठी के अनुच्छेद **59.8** में उक्ति के संदर्भ में पारंपरिक शीर्षों की ओर।इस प्रकार दावेदारों को कुल **96,230/-** **(**इकतीस लाख छियानबे हजार दो सौ तीस रुपये**)** का भुगतान किया जाता है।**[**पैरा **22] [965-**एफ**-**एच**; 966-**ए**-**बी**]**

हालाँकि, दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक **9** प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ यह राशि **2006** के नियमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवादी संख्या **1** और **2** द्वारा किए गए आवेदन के परिणाम के अधीन देय होगी।यदि उस आवेदन की अनुमति दी जाती है और मृतक के निर्दिष्ट कानूनी प्रतिनिधियों को उक्त नियमों के तहत वित्तीय सहायता के लिए राशि देय हो जाती है, तो मुआवजे की राशि से उसके ब्याज घटक के साथ समतुल्य राशि काटनी होगी।इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या **1** और **2** को क्षतिपूर्ति राशि वापस लेने की अनुमति केवल निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक शपथ पत्र-सह-घोषणा दायर करने पर दी जा सकती है कि उन्हें **2006** के नियमों के तहत वित्तीय सहायता के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और न ही वे उस राशि का दावा करेंगे और यदि उस खाते में पहले से ही प्राप्त या भविष्य में प्राप्त की जानी है, तो इस तरह से प्राप्त राशि का खुलासा निष्पादन न्यायालय को किया जाएगा, जिसे इस आदेश के संदर्भ में निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि से काटना होगा।अतः क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रतिवादी संख्या **1** और **2** को उपरोक्त के अधीन रहते हुए और बीमा कंपनी **(**अपीलार्थी**)** को उस सीमा तक क्षतिपूर्ति करने के लिए निष्पादन न्यायालय के समक्ष वचन देने पर किया जाना चाहिए।**[**पैरा **22] [966-**बी-ई**]**

ग

डी.

ई.

च

मंजुरी बेरा (श्रीमती) बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। लिमिटेड &

एन. आर. (2007) 10 एससीसी 643:[2007] 4 एससीआर 590; रिलायंस

सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड बनामशशि शर्मा और ओआरएस।

(2016) 9 एससीसी 627:[2016] 6 एस. सी. आर. 488; नया भारत

आश्वासन कंपनी लिमिटेड बनामअजमेरो और अन्य एफ**.** ए**.** ओ**.** नं**.**

2648 2016 का निर्णय 31.07.2017 पर; राष्ट्रीय

जी.

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य। **(2017) 16** एससीसी **680;** सरला वर्मा **(**श्रीमती**)** और अन्य बनामदिल्ली परिवहन निगम और एएनआर। **(2009) 6** एससीसी **121:**

[2009] 5 एस**.** सी**.** आर**. 1098-**संदर्भित।

एच.

953

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बी. बी. आई. आर. एन. डी. ए. और ओ. आर. एस.

क.

निर्णीत विधि संदर्भ

[2016] 6 एससीआर **488**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

[2007] 4 एससीआर **590**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

(2017) 16 एससीसी **680**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

[2009] 5 एससीआर **1098**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 242-243।

2016 के एफ. ए. ओ. सं. 1341 और 4023 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 08.08.2018 के निर्णय और आदेश से।

ग

सह

2020 की सिविल अपील संख्या 244।

अमित कुमार सिंह, श्रीमती के. एंटोली सेमा, गौरव प्रकाश, सुश्री आभा आर. शर्मा, डी. एस. परमार, अंकित मिश्रा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए**.** एम**.** खानविलकर**,** जे**.**

ई.

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. छुट्टी दे दी गई।

3. ये दीवानी अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ में 2016 की एफ. ए. ओ. संख्या 1341 (ओ. एंड. एम.) और 2016 की 4023 (ओ. एंड. एम.) में पारित किए गए सामान्य निर्णय और आदेश (संक्षेप में, 'उच्च न्यायालय') से निकलती हैं, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जींद (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') द्वारा 2014 के मामले संख्या 205 में पारित किए गए पुरस्कार की शुद्धता पर सवाल उठाया गया है।पहली अपील (एस. एल. पी. (सी) No./2020 @डायरी नंबर 47693/2018 से उत्पन्न) को बीमा कंपनी द्वारा प्राथमिकता दी गई है और दूसरी अपील (एस. एल. पी. (सी) नं./2020 @ दावेदार-प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा डायरी संख्या 17683/2019)।सुविधा के लिए पूर्व अपील में पक्षों को उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाता है।

च

जी.

4. दावा याचिका प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दायर की गई थी, जो श्रीमती के प्रमुख पुत्र हैं। सुनहेरी देवी (मृतक)।द.

मृतक सुबह लगभग 9 बजे धारोली खेरा गाँव से तहसीलदार, उचाना (जहाँ वह चपरासी के रूप में काम कर रही थी) के कार्यालय में जाने के लिए जा रही थी। एचआर-32-जी-8749।उस समय, पंजीकरण संख्या वाला डंपर/टिपर। विपरीत दिशा से आ रहे एचआर-56-ए-3260 को जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था, मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक को घातक चोटें आईं, जिससे उसने दम तोड़ दिया।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने रुपये की राशि का दावा किया। 50,00,000-(केवल पचास लाख रुपये) प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ इस दावे पर कि मृतक Rs.28000 कमा रहा था-प्रति माह (रु। 21000/- वेतन के रूप में और Rs.7000-अपने पति की पारिवारिक पेंशन के रूप में), वह स्वस्थ और स्वस्थ थी और अपने पूरे परिवार की एकमात्र कमाने वाली थी और वे काफी हद तक उसकी आय पर निर्भर थे और उसके प्यार और स्नेह से भी वंचित थे।अपीलार्थी ने दावे पर विवाद किया और दलील दी कि दुर्घटना उल्लंघन करने वाले वाहन (डंपर/टिप्पर) के साथ या उसके चालक की गलती के कारण नहीं हुई थी, और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 मेजर थे और मृतक पर निर्भर नहीं थे और इस तरह किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं थे।इसके अलावा, विचाराधीन वाहन को बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था और चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।नतीजतन, बीमा कंपनी-अपीलकर्ता मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था।6. अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, न्यायाधिकरण ने माना कि मृतक की दुर्घटना लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई।न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक और मालिक ने चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, वैध बीमा पॉलिसी, सार्वजनिक वाहक परमिट और उल्लंघन करने वाले वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में रखा है और अपीलकर्ता यह साबित करने के लिए कोई सबूत देने में विफल रहा है कि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया था, इसलिए उसे उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण ने यह भी नोट किया कि हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 बड़े और कमाने वाले थे, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी थे और मृतक के माध्यम से आर्थिक लाभों से वंचित थे।

7. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पक्ष में उपरोक्त मुद्दों का निर्णय लेने के बाद, न्यायाधिकरण ने मुआवजे की मात्रा निर्धारित करते हुए सितंबर, ए तक मृतक के सकल मासिक वेतन पर ध्यान दिया।

2014, जो उनके सेवा रिकॉर्ड के अनुसार Rs.23,123/- था और शुद्ध टेक होम वेतन Rs.16,918/- था।न्यायाधिकरण ने गणना के लिए पारिवारिक पेंशन पर विचार नहीं किया, क्योंकि मृतक को यह विधवा के रूप में अपने अधिकार में मिल रहा था

और इसकी गणना नहीं की जा सकती थी।उनकी जन्म तिथि 1.4.1967 थी और सेवानिवृत्ति के लिए देय तिथि 31.3.2027 थी, जिसके लिए '13' का गुणक लागू किया गया था।व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती 50 प्रतिशत रखी गई थी क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 प्रमुख और कमाई करने वाले हाथ थे।इस प्रकार, निर्भरता का नुकसान Rs.17,15,532/- पर निर्धारित किया गया था।इसके अलावा, अंतिम संस्कार के खर्च आदि के कारण कुल आई. डी. 1,000/- की राशि दी गई थी और याचिका दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कुल मुआवजे की गणना 40,532/- आई. डी. 2 पर की गई थी।उल्लंघनकारी वाहन के चालक, मालिक और बीमाकर्ता को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी ठहराया गया था।

ग

8. न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध, अपीलार्थी द्वारा दायर 2016 की एफ. ए. ओ. संख्या 1341 (ओ. एंड. एम.) और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दायर 2016 की एफ. ए. ओ. संख्या 4023 (ओ. एंड. एम.) के रूप में परस्पर अपीलों को प्राथमिकता दी गई।अपीलार्थी (बीमा कंपनी) ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 निर्भरता के नुकसान के लिए मुआवजे के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे बड़े और कमाने वाले हैं और यह भी कि मृतक का परिवार हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारी आश्रितों के लिए अनुकंपा सहायता नियम, 2006 (संक्षेप में, '2006 नियम') के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार था।प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने तर्क दिया कि बड़ा होने और अपने आप में कमाई करने को मुआवजे का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता है।इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने भुगतान वेतन के बजाय घर ले जाने वाले वेतन पर निर्भरता के नुकसान का गलत आकलन किया है और मृतक द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन पर विचार किए बिना यदि वह जीवित होती।उन्होंने आगे दावा किया कि व्यक्तिगत खर्चों की कटौती 50 प्रतिशत के बजाय एक तिहाई (1/3) होनी चाहिए।

डी.

ई.

च

9. उच्च न्यायालय ने मुआवजे की गणना करने के लिए मासिक वेतन को <आईडी1,123/- के रूप में, भविष्य की संभावनाओं के लाभों को 30 प्रतिशत पर विचार करते हुए, '13' का गुणक लागू करते हुए और व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50 प्रतिशत पर कटौती करते हुए कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2, <आईडी1,44,672/- पर आय की हानि के लिए निर्भरता के नुकसान के हकदार थे।इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने 7,000 रुपये की मासिक पेंशन लेने से निर्भरता के नुकसान पर विचार करते हुए, '13' का गुणक और व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50 प्रतिशत की कटौती लागू करते हुए कहा कि इस शीर्ष के लिए रु. 5,46,000 का भुगतान किया जाएगा।पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजा था

जी.

एच.

यह भी Rs.25,000/- से बढ़कर Rs.30,000/- हो गया।इसलिए, देय कुल मुआवजे का निर्धारण Rs.29,20,672/- के रूप में किया गया था।उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि 2006 के नियमों के तहत मृतक के परिवार को उपलब्ध वित्तीय सहायता Rs.33,29,712/- होगी और उसी उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए मुआवजे से उक्त राशि का 50 प्रतिशत काट लिया जाएगा।अजमेरो और अन्य 1.इसके बाद उच्च न्यायालय ने अपने द्वारा निर्धारित 20,672/- की क्षतिपूर्ति राशि में से 64,856/- की उस राशि को काट लिया।परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को रुपये की सीमा तक कम कर दिया और अपीलार्थी को अतिरिक्त राशि की वसूली करने की स्वतंत्रता दी, यदि वह पहले ही भुगतान कर चुका है।

ग

10. पहली अपील अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर की जाती है कि उच्च न्यायालय को 2006 के नियमों के तहत वित्तीय सहायता की पूरी राशि में केवल 50 प्रतिशत की कटौती करने के बजाय कटौती करनी चाहिए थी।रिलायंस जनरल में इस अदालत के फैसले पर रिलायंस को रखा गया था

बीमा कंपनी लिमिटेड बनामशशि शर्मा और ओआरएस। **2.**यह दावा किया जाता है कि

वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए निर्भरता की हानि अनुपलब्ध है, वे मृतक के प्रमुख पुत्र हैं जो विवाहित थे और लाभकारी रूप से कार्यरत भी थे।रिलायंस को रखा गया है

डी.

मंजुरी बेरा **(**श्रीमती**)** बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्र। **3.**यह है।

आग्रह किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 केवल पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजे का हकदार हो सकता है जैसा कि राष्ट्रीय बीमा में है

ई.

कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य। **4.**

11. उत्तरदाता संख्या 1 और 2 द्वारा बाद की अपील को मुख्य रूप से इस आधार पर प्राथमिकता दी गई है कि उच्च न्यायालय ने मुआवजे से एक तिहाई (1/3) के बजाय राशि का 50 प्रतिशत काटने में गलती की है।इसके अलावा, 2006 के नियमों के तहत प्राप्य वित्तीय सहायता की 50 प्रतिशत राशि की कटौती इस धारणा पर कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 इसके लिए पात्र हैं, एक स्पष्ट त्रुटि है।रिलायंस को अजमेरो (ऊपर) में उच्च न्यायालय के फैसले पर भी रखा गया है।यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए था कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 मृतक पर निर्भर थे और वे उसके प्यार, स्नेह और आय से वंचित रहे हैं और इस प्रकार मुआवजे के हकदार हैं जैसा कि उस संबंध में मूल आवेदन में दावा किया गया है।

च

जी.

1 2016 का एफ. ए. ओ. सं. 2648,31.07.2017 2 (2016) 9 एस. सी. सी. 627 पर निर्णय लिया गया

3 (2007) 10 एससीसी 643 4 (2017) 16 एससीसी 680 ए

एच.

957

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बी. बी. आई. आर. एन. डी. ए. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

12. हमने बीमा कंपनी (अपीलार्थी) के विद्वान वकील श्री अमित कुमार सिंह और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की विद्वान वकील सुश्री आभा आर. शर्मा को सुना है।जिन प्रमुख मुद्दों पर हम विचार कर रहे हैं, वे इस प्रकार हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) क्या मृतक के बड़े बेटे जो विवाहित हैं और लाभकारी रूप से कार्यरत हैं या कमाई कर रहे हैं, वे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं?((ii) क्या ऐसे कानूनी प्रतिनिधि केवल पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजे के हकदार हैं?

((iii) क्या 2006 के नियमों के तहत मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त राशि की कटौती पूरी तरह से की जानी चाहिए या केवल उसके हिस्से के रूप में?

ग

13. पहले मुद्दे पर लौटते हुए-जिसका उत्तर अधिनियम की योजना के आधार पर दिए जाने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 166 में उप-धारा (1) के खंड (ए) से खंड (डी) में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा मुआवजे के लिए आवेदन दायर करने का प्रावधान है।अधिनियम की धारा 166, जैसा कि प्रासंगिक समय पर लागू होती है, इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

" धारा 166।आवेदन च या क्षतिपूर्ति।- (1) अ.

धारा 165 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के लिए आवेदन किया जा सकता है -

ई.

(ए) उस व्यक्ति द्वारा जिसने चोट पहुँचाई है; या (बी) संपत्ति के मालिक द्वारा; या

((ग**)** जहाँ दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है**,** या

मृतक का कोई भी कानूनी प्रतिनिधि; या

च

(घ) घायल व्यक्ति या मृतक के सभी या किसी भी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी एजेंट द्वारा, जैसा भी मामला हो सकता हैः

बशर्ते कि जहां मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे के लिए ऐसे किसी आवेदन में शामिल नहीं हुए हैं, वहां आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा और कानूनी प्रतिनिधि जो इस तरह से शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें आवेदन में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाएगा।

जी.

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक आवेदन दावेदार के विकल्प पर या तो दावा न्यायाधिकरण को किया जाएगा।

एच.

उस क्षेत्र की अधिकारिता जिसमें दुर्घटना हुई या दावा न्यायाधिकरण की अधिकारिता जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर दावेदार रहता है या व्यवसाय करता है या जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रतिवादी रहता है, और ऐसे रूप में होगा और इसमें ऐसे विवरण होंगे जो निर्धारित किए जाएंः

बशर्ते कि जहां ऐसे आवेदन में धारा 140 के तहत मुआवजे का कोई दावा नहीं किया जाता है, वहां आवेदन में आवेदक के हस्ताक्षर से तुरंत पहले उस प्रभाव का एक अलग बयान होगा।

(3) ***

ग

(4) दावा न्यायाधिकरण धारा 158 की उप-धारा (6) के तहत उसे भेजी गई दुर्घटनाओं की किसी भी रिपोर्ट को इस अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए आवेदन के रूप में मानेगा।

(जोर दिया गया) 14.मृतक के कानूनी प्रतिनिधि धारा 166 (1) के खंड (सी) के आधार पर मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं।बड़ा विवाहित बेटा जो भी कमा रहा है और पूरी तरह से मृतक पर निर्भर नहीं है, फिर भी मृतक के "कानूनी प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया जाएगा।मंजुरी बेरा (ऊपर) में इस न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संबंधित कानूनी प्रतिनिधि की निर्भरता के अभाव के कारण अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने की देयता समाप्त नहीं होती है।विशेष रूप से, अधिनियम में "कानूनी प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। मंजुरी बेरा (ऊपर) में, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

“9. मृत्यु के मामले में अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के संदर्भ में, मृतक के सभी या कोई भी कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे के हकदार हो जाते हैं और ऐसा कोई भी कानूनी प्रतिनिधि दावा याचिका दायर कर सकता है।उक्त उप-धारा के परंतुक में यह स्थिति स्पष्ट की गई है कि जहां सभी कानूनी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे, वहां उन कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिवादी के रूप में शामिल करके मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से आवेदन किया जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय को अपने विचार में उचित ठहराया गया कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 166 के संदर्भ में एक दावा याचिका बनाए रख सकता है।

च

जी.

10. .....न्यायाधिकरण का कर्तव्य है कि वह एक निर्णय दे**,** मुआवजे की राशि निर्धारित करे जो न्यायसंगत और उचित हो और ए को निर्दिष्ट करे।

एच.

959

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बी. बी. आई. आर. एन. डी. ए. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

व्यक्ति या व्यक्ति जिन्हें ऐसा मुआवजा दिया जाएगा।बाद वाला भाग उस व्यक्ति द्वारा मुआवजे की पात्रता से संबंधित है जो इसके लिए दावा करता है।

11. सी. पी. सी. की धारा 2 (11) के अनुसार, "कानूनी प्रतिनिधि" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो कानूनी रूप से एक मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो मृतक की संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है और जहां एक पक्ष उस व्यक्ति पर मुकदमा करता है या उस पर मुकदमा किया जाता है जिस पर संपत्ति पक्ष की मृत्यु पर इस तरह से मुकदमा या मुकदमा करता है।लगभग समान शब्दों में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत कानूनी प्रतिनिधि की परिभाषा है, यानी धारा 2 (1) (जी) के तहत।

ग

12. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शाखाओं के संरक्षक में कहा गया है

बी. ए. एन. सी. ओ. राष्ट्रीय अल्ट्रामेरिनो बनाम नलिनी बाई नाइक [1989 का समर्थन]

(2) एस. सी. सी. 275 धारा 2 (11) सी. पी. सी. में निहित परिभाषा चरित्र में समावेशी है और इसका दायरा व्यापक है, यह केवल कानूनी उत्तराधिकारियों तक ही सीमित नहीं है।इसके बजाय यह निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति जो मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के लिए सक्षम कानूनी उत्तराधिकारी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वह मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है।इसमें उत्तराधिकारी के साथ-साथ वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो मृतक की संपत्ति के कब्जे में निष्पादक या प्रशासकों के रूप में स्वामित्व के बिना भी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।ऐसे सभी व्यक्तियों को "कानूनी प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया जाएगा।जैसा कि गुजरात एस. आर. टी. सी. बनाम रमनभाई प्रभातभाई [(1987) 3 एस. सी. सी. 234 में देखा गया है कि एक कानूनी प्रतिनिधि वह है जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित है और जरूरी नहीं कि वह पत्नी, पति, माता-पिता और बच्चा हो।"

डी.

ई.

उक्त निर्णय के पैराग्राफ 15 में, अधिनियम की धारा 140 के प्रावधानों का समर्थन करते हुए, न्यायालय ने कहा कि भले ही निर्भरता का कोई नुकसान न हो, दावेदार, यदि वह एक कानूनी प्रतिनिधि था, तो मुआवजे का हकदार होगा।न्यायमूर्ति एस. एच. कपाडिया के सहमति वाले फैसले में, जैसा कि उनके अधिपति तब थे, यह देखा गया है कि "मुआवजे के लिए आवेदन करने के अधिकार" और "मुआवजे की पात्रता" के बीच अंतर है।क्षतिपूर्ति मृतक की संपत्ति का हिस्सा है।नतीजतन, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को संपत्ति विरासत में मिलेगी।वास्तव में, उस मामले में, न्यायालय मृतक की एक विवाहित बेटी के मामले और अधिनियम की धारा 140 की प्रभावकारिता पर विचार कर रहा था। फिर भी, इस निर्णय में व्याख्या में अंतर्निहित सिद्धांत स्पष्ट रूप से सहायता के लिए आएगा

च

जी.

एच.

प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 (दावेदार) भले ही वे मृतक के प्रमुख पुत्र हैं और कमाने वाले भी हैं।

15. इस प्रकार अब तक यह तय हो गया है कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार है।यह कहने के बाद, यह आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए कि मृतक के बड़े विवाहित और कमाने वाले बेटे भी कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार रखते हैं और यह न्यायाधिकरण का बाध्य कर्तव्य होगा कि वह इस तथ्य के बावजूद आवेदन पर विचार करे कि क्या संबंधित कानूनी प्रतिनिधि पूरी तरह से मृतक पर निर्भर था और केवल पारंपरिक शीर्षों के लिए दावे को सीमित नहीं करना था।वर्तमान मामले में दर्ज साक्ष्य से पता चलता है कि दावेदार अनुबंध के आधार पर कृषि मजदूरों के रूप में काम कर रहे थे और प्रति वर्ष रु. 1,00,000-और रु. 1,50,000-के बीच अल्प आय अर्जित कर रहे थे।इस मायने में, वे काफी हद तक अपनी माँ की कमाई पर निर्भर थे और वास्तव में, उनके साथ रह रहे थे, जो 48 साल की कम उम्र में एक दुर्घटना का शिकार हो गईं।16. अगला मुद्दा 2006 के नियमों के तहत मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त राशि की कटौती के बारे में है जो शशि शर्मा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि से है।इस न्यायालय ने संबंधित नियमों का विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित राय दीः- “23. नियम 5 पर वापस जाते हुए, उप-नियम (1) उस अवधि के लिए प्रावधान करता है जिसके दौरान मृत कर्मचारी के आश्रितों को वेतन और अन्य भत्तों के बराबर वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है जो अंतिम बार मृत कर्मचारी द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम में बिना कोई विशिष्ट दावा किए प्राप्त की गई थी।उप-नियम (2)

डी.

ई.

यह प्रावधान है कि परिवार सामान्य नियमों के अनुसार उस अवधि के बाद ही पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा**,** जिसके दौरान उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

च

उप-नियम (1)।उप-नियम (3) सामान्य किराया/लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास के मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को गारंटी देता है।उप-नियम (4) के आधार पर, कमाने वाले की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए मृतक कर्मचारी के परिवार को 25,000 रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाती है।उपनियम (5) स्पष्ट करता है कि घर का किराया भत्ता सहायता की गणना के प्रयोजनों के लिए भत्ते का हिस्सा नहीं होगा।

जी.

एच.

961

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बी. बी. आई. आर. एन. डी. ए. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

क.

24. .....जहाँ तक दूसरे भाग का संबंध है**,** यह अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है जो किसी भी तरह से मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा प्राप्त की जाती है।इसे घटाया नहीं जा सकता है।

1988 के अधिनियम के तहत न्यायसंगत मुआवजे के निर्धारण के लिए दावा राशि से।

25. दावेदार वैध रूप से 1988 के अधिनियम के तहत नियम 5 के पहले भाग द्वारा कवर किए गए अपकृत्यकर्ता या बीमा कंपनी के खिलाफ मृतक सरकारी कर्मचारी के "वेतन और मजदूरी" के नुकसान के लिए दावा करने के हकदार हैं। हालाँकि, मृतक सरकारी कर्मचारी (हरियाणा राज्य द्वारा नियोजित) के दावेदार या आश्रित नियम 5 के पहले भाग-"वेतन और भत्ते" के तहत आने वाले उसी विषय के लिए दावा नहीं कर सकते हैं, जो उन्हें 2006 के नियमों के नियम 5 (1) के तहत नियोक्ता (राज्य) से प्राप्त होते हैं।इसमें, यदि मृतक कर्मचारी मोटर दुर्घटना की चोट से बच जाता, तो वह नौकरी में रहता और अपना नियमित वेतन और भत्ते अर्जित करता।उक्त नियमों की किसी भी अन्य व्याख्या के परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से मृतक सरकारी कर्मचारी के "वेतन और मजदूरी" के नुकसान के समान शीर्ष के लिए दोगुना भुगतान होगा जो आश्रितों/दावेदारों को उपहार, उदारता या लाभ के स्रोत के अनुदान में निहित होगा।

ग

डी.

26. वास्तव में, 2006 के नियमों के तहत प्राप्य दावे का इसी तरह का वैधानिक बहिष्कार अनुपस्थित है।हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दावा न्यायाधिकरण को इस तथ्य से अनजान रहना चाहिए कि मृतक के वेतन और मजदूरी के नुकसान के दावे को नियोक्ता द्वारा नियम 5 (1) के तहत अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह वित्तीय सहायता के रूप में पहले ही किया जा चुका है या क्षतिपूर्ति की जाएगी।दावा न्यायाधिकरण को दावे पर निर्णय लेना होता है और मुआवजे की राशि निर्धारित करनी होती है जो उसे उचित लगती है।इसलिए, आश्रितों/दावेदारों द्वारा अनुग्रह वित्तीय सहायता के रूप में "वेतन और भत्तों" के शीर्ष के लिए प्राप्य राशि का भुगतान दावेदारों को दूसरी बार नहीं किया जा सकता है।यह सच है कि 2006 के नियम लागू होंगे यदि सरकारी कर्मचारी की प्राकृतिक मृत्यु के कारण भी मृत्यु हो जाती है।साथ ही, 2006 के नियम स्पष्ट रूप से मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को मृतक सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु के कारण अपकृत्यकर्ता या बीमा कंपनी से समान राशि का दावा करने में सक्षम नहीं बनाते हैं।

ई.

च

जी.

एच.

962

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 1 एस सी आर।

इसलिए, 1988 के अधिनियम के तहत देय न्यायसंगत मुआवजे का निर्धारण करने के लिए सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण, 2006 के नियमों के तहत मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा प्राप्त या प्राप्य राशि को "वेतन और अन्य भत्तों" के बराबर मुख्य वित्तीय सहायता के लिए बाहर करना है, जो अंतिम बार मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त की गई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि नियमों के नियम 5 (1) के तहत मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा प्राप्त राशि या भुगतान, "आय की हानि" के शीर्ष के तहत कुल पात्रता है।जहाँ तक आय और अन्य लाभों के भविष्य में वृद्धि के नुकसान के दावे का संबंध है, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी दुर्घटना में बच गया था, तो भी वे 1988 के अधिनियम के तहत अपने दावे में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि, यह 2006 के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है।इसी तरह, मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को नियम 5 के उप-नियम (2) से उप-नियम (5) के संदर्भ में अन्य लाभ दिए गए हैं, जिनमें पारिवारिक पेंशन, जीवन बीमा, भविष्य निधि आदि शामिल हैं, जो अप्रभावित रहने चाहिए और कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र एस. आर. टी. सी., (1999) 1 एस. सी. सी. 90 और संयुक्त राज्य अमेरिका में बताए गए सिद्धांत को लागू करते हुए मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को किसी भी तरह से भुगतान किया जाएगा।

ग

डी.

भारत बीमा कंपनी लिमिटेड बनामपेट्रीसिया जीन महाजन, (2002) 6

एस. सी. सी. 281 मामले।

ई.

27. एक प्राथमिकता के रूप में, अपीलकर्ताओं को 2006 के नियमों के नियम 5 (1) के संदर्भ में मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों द्वारा प्राप्य राशि की सीमा तक ही सफल होना चाहिए, जो निर्दिष्ट अवधि के लिए मृतक कर्मचारी के वेतन और मजदूरी के नुकसान के बराबर वित्तीय सहायता के लिए है।"

च

(जोर दिया गया) हालांकि, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने अजमेरो (ऊपर) में उसी उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करने के बाद कहा है कि 2006 के नियमों के तहत वित्तीय सहायता के लिए मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत मुआवजे की राशि में से काटा जाना आवश्यक है।निर्भर निर्णय में, उसी विद्वान न्यायाधीश को निम्नलिखित रूप में अवलोकन करने का अवसर मिलाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

“... हालांकि, फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि अदालत ने उस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है जिसमें नियम ए थे

2006 का एक मृतक कर्मचारी के परिवार को सहायता प्रदान करना अस्तित्व में नहीं था**,** परिवार अंतिम निकासी के **50** प्रतिशत की सीमा तक पेंशन का हकदार होता।

भुगतान करें।कानून में तय स्थिति के अनुसार, एक मृत कर्मचारी के परिवार को उपलब्ध पेंशन लाभ निर्भरता के नुकसान की गणना के लिए कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।अभिलेख पर इस तथ्य का संकेत देने वाला कुछ भी नहीं है कि नियमों के तहत अनुकंपा सहायता के अलावा, मृतक के परिवार को सेवानिवृत्ति की आयु तक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।बल्कि 2006 के नियमों का नियम 5 (2) विशेष रूप से सामान्य नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन से इनकार करता है।उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिया गया दृष्टिकोण एक से अधिक कारणों से शशि शर्मा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का सही अध्ययन नहीं है।सबसे पहले, यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि 2006 के नियमों के नियम 5 (2) के तहत, परिवार द्वारा प्राप्य पारिवारिक पेंशन देय होगी, हालांकि, उस अवधि के बाद ही, जिसके दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, पूरी हो जाती है।उस संदर्भ में, रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 24 में, अदालत ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि अधिनियम के तहत न्यायसंगत मुआवजे के निर्धारण के लिए पारिवारिक पेंशन की राशि को दावे की राशि से नहीं काटा जा सकता है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने गलती से यह मान लिया है कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद मृतक का परिवार पारिवारिक पेंशन राशि का हकदार होगा।यह 2006 के नियमों की योजना, विशेष रूप से इसके नियम 5 (2) के अंतर्गत आता है।उक्त नियमों में अनुकंपा के आधार पर वित्तीय सहायता के साथ-साथ मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अन्य लाभ भी प्रदान किए गए हैं और इसके एक पैकेज के रूप में नियम 5 (2) में कहा गया है कि सामान्य नियमों के अनुसार परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने की अवधि पूरी होने के बाद ही पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा।इस प्रावधान की वैधता को मुद्दा नहीं बनाया गया है।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि उच्च न्यायालय द्वारा अजमेरो (उपरोक्त) में लिया गया दृष्टिकोण 2006 के नियमों, विशेष रूप से नियम 5 (2) द्वारा परिकल्पित योजना से अलग है।इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

18. वास्तव में, वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने यह मानने में स्पष्ट त्रुटि की कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 2006 के नियमों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।इस तरह की वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता को 2006 के नियमों के नियम 3 में पेंशन/परिवार के प्रावधान के साथ पढ़ा गया है।

पेंशन योजना, 1964।ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े बेटे और विवाहित बेटियां परिभाषा में शामिल नहीं हैं।हालाँकि, हमें वर्तमान कार्यवाही में उस पहलू पर आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।एस. डी. एम. कार्यालय (पी. डब्ल्यू.-1) में क्लर्क गोबिंद सिंह के साक्ष्य में यह सामने आया है कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों ने तब तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है जब तक कि वह अपदस्थ नहीं हो गया था।वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 1, जिसने गवाह पेटी में प्रवेश किया था, ने गवाही दी कि उन्होंने अपनी मृत माँ का वेतन प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था।तथ्य यह है कि अभिलेख पर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाता है या वास्तव में, वे 2006 के नियमों के तहत ऐसी वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।इसलिए, उच्च न्यायालय को मुआवजे की राशि से मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त राशि (2006 के नियमों के तहत) की कटौती का प्रावधान करने के बजाय, मुआवजे की राशि को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करना चाहिए था और निष्पादन न्यायालय के समक्ष हलफनामा/घोषणा दायर करने वाले मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के अधीन इसके भुगतान का आदेश देना चाहिए था कि उन्हें 2006 के नियमों के तहत वित्तीय सहायता के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और न ही वे कोई दावा करेंगे, ताकि वे पूरी मुआवजे की राशि को वापस लेने के हकदार बन सकें।

ग

डी.

19. क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण की ओर लौटते हुए, यह देखा गया है कि न्यायाधिकरण ने इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि मृतक का सकल वेतन Rs.23,123/- प्रति माह था (संभवतः कर योग्य आय से कम), संबंधित अवधि के लिए मृतक द्वारा निकाले गए शुद्ध वेतन के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ा।स्वीकार करते हुए, कर राशि के अलावा सकल वेतन से किसी भी कटौती की गणना नहीं की जा सकती है।इसमें, प्रणय सेठी (उपर्युक्त) के अनुच्छेद 59.3 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के कथन के आलोक में, मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा वास्तविक वेतन रहित कर राशि पर विचार किया जाना चाहिए था।

ई.

च

20. इसी तरह, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा की गई इस दलील पर ध्यान देने के बावजूद कि मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती को निर्भरता के नुकसान का निर्धारण करने के लिए केवल एक तिहाई (एक तिहाई) राशि के रूप में माना जाना चाहिए, न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार उस शीर्ष के लिए 50 प्रतिशत की कटौती को बनाए रखा।इस न्यायालय ने पैराग्राफ 37 में प्रणय सेठी (ऊपर) में इस उक्ति को स्वीकार किया है।

जी.

सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम इस न्यायालय के मामले मेंदिल्ली परिवहन

निगम और एन**.** आर**. 5** अनुमोदन के साथ**,** जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आश्रित

5 (2009) 6 एस. सी. सी. 121 (पैरा 30)

एच.

965

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बी. बी. आई. आर. एन. डी. ए. और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

क.

परिवार के सदस्य 2 से 3 हैं, क्योंकि इस मामले में, मृतक के व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए कटौती को एक तिहाई (1/3) के रूप में लिया जाना चाहिए।दूसरे शब्दों में, 50 प्रतिशत की सीमा तक व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती अत्यधिक है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उचित और उचित नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 अपने-अपने परिवारों के साथ संबंधित समय पर मृतक के साथ रह रहे थे और काफी हद तक उसकी आय पर निर्भर थे।

21. जो भी हो, न्यायाधिकरण ने मृतक को उसके पति की मृत्यु के कारण पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त राशि को बाहर करने के लिए पैराग्राफ 26 में निम्नानुसार उल्लेख किया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“26. दावेदारों के विद्वान वकील ने आगे अनुरोध किया कि मुआवजे का आकलन करने के उद्देश्य से मृतक द्वारा ली जा रही पारिवारिक पेंशन की गणना भी की जाए।दावेदारों के लिए विद्वान वकील का यह तर्क और दावा न्यायाधिकरण के साथ कोई दोषसिद्धि नहीं रखता है क्योंकि मृतक को मृतक की विधवा के रूप में अपने अधिकार में पारिवारिक पेंशन मिल रही थी और मुआवजे की राशि की गणना करने के उद्देश्य से इसे उसकी आय नहीं कहा जा सकता है।"

ग

डी.

उच्च न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष को उलट दिए बिना, मृतक द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद प्राप्त 7,000/- रुपये प्रति माह की राशि को पेंशन राशि के रूप में शामिल करने के लिए आगे बढ़े।हम न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं और इसी कारण से, उक्त राशि को निर्भरता के नुकसान के रूप में शामिल करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को उलटना होगा।इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि यह केवल मृतक के विधवा होने पर देय था, न कि मुआवजे की राशि की गणना करने के उद्देश्य से उसकी आय के लिए।22. उपरोक्त पर विचार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 मृतक के सकल वेतन (कम कर राशि, यदि कोई हो) और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के कारण निर्भरता के नुकसान के आधार पर गणना किए जाने वाले मुआवजे के हकदार होंगे और मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए केवल एक तिहाई (एक तिहाई) राशि की कटौती होगी।न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लागू गुणक '13' के संबंध में, इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।नतीजतन, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, मुआवजे के लिए देय राशि की गणना निम्नलिखित आधार पर करनी होगीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

च

जी.

Rs.31,26,229.60-[(Rs.23,123/- x 12 x 13) + (30 प्रतिशत भविष्य में) पर गणना की गई आय के नुकसान के कारण निर्भरता का नुकसान।

एच.

संभावनाएँ)-(व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/3 कटौती)]।इसके अलावा, दावेदार प्रणय सेठी (ऊपर) के पैराग्राफ 59.8 में कथन के संदर्भ में पारंपरिक शीर्षों के लिए Rs.70,000/- की राशि के हकदार होंगे।इस प्रकार दावेदारों को कुल 96,230/- (एकतीस लाख छियानबे हजार दो सौ तीस रुपये) का भुगतान किया जाता है।

हालाँकि, दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ यह राशि 2006 के नियमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा किए गए आवेदन के परिणाम के अधीन सक्षम प्राधिकारी को देय होगी।यदि उस आवेदन की अनुमति दी जाती है और मृतक के निर्दिष्ट कानूनी प्रतिनिधियों को उक्त नियमों के तहत वित्तीय सहायता के लिए राशि देय हो जाती है, तो मुआवजे की राशि से ब्याज घटक के साथ समतुल्य राशि

काटनी होगी।इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को क्षतिपूर्ति राशि वापस लेने की अनुमति केवल निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक शपथ पत्र-सह-घोषणा दायर करने पर दी जा सकती है कि उन्हें 2006 के नियमों के तहत वित्तीय सहायता के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और न ही वे उस राशि का दावा करेंगे और यदि उस खाते में पहले से ही प्राप्त या भविष्य में प्राप्त की जानी है, तो इस तरह से प्राप्त राशि का खुलासा निष्पादन न्यायालय को किया जाएगा, जिसे इस आदेश के संदर्भ में निर्धारित मुआवजे की राशि से काटना होगा।अतः क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को उपरोक्त के अधीन रहते हुए और बीमा कंपनी (अपीलार्थी) को उस सीमा तक क्षतिपूर्ति करने के लिए निष्पादन न्यायालय के समक्ष वचन देने पर किया जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

23. अपीलों को आंशिक रूप से उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

च

अंकित ज्ञान

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

जी.

एच.